अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 03 / 20–21

मधु सोरेन बनाम् रैयान मौजा–वीरनगर

–: आदेश :–

12.07.2022

वर्तमान वाद आवेदक मधु सोरेन, भीम सोरेन, हेमंत कु0 महतो, दिनेश कु0 महतो, सुनील सोरेन, लखनलाल सोरेन, शोभासिनी बेसरा एवं राजेश कु0 महतो, सभी सा0–वीरनगर, चन्द्रशेखर महतो, सा0–घोरीचक, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–05 के तहत् मौजा–वीरनगर नं0–374 के ग्राम प्रधान बहाली हेतु प्रकिया प्रारंभ किया गया है।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–273 / रा0, दिनांक–30.03.2022 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा कागजात का अवलोकन किया ।

दिनांक–30.03.2022 को 11:00 पूर्वा0 ढ़ोढ़ा पंचायत भवन में अंचल अधिकारी, मेहरमा की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान बहाली हेतु ग्राम सभा मौजा–वीरनगर नं0–374 में आयोजित किया गया। उक्त ग्राम सभा में कुल 09 अभ्यर्थी में से 01 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे तथा 182 जमाबंदी रैयतों के वारिशान में से 136 व्यक्ति उपस्थित हुए।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 तथा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 की अनुसूची–V के आलोक में आवेदक सुनील सोरेन को सर्वाधिक 82 मत प्राप्त हुआ। तदुपरांत आवेदक सुनील सोरेन, पे0–स्व0 किशुन सोरेन, सा0–वीरनगर, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को मौजा–वीरनगर का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा अन्य आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

नवनियुक्त प्रधान सुनील सोरेन, पे0–स्व0 किशुन सोरेन को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित सुरक्षित जमा के आलोक में खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, मेहरमा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12.07.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

12.07.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.12 13:25:14 +05:30
Location: 192.168.8.115

F/Order.